शोध मंथन Vol. XV No.III July.-Sept. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं घटती नामांकन दर

प्राप्तिः 28.08.2024
स्वीकृतः 18.09.2024

प्रतिभा रानी
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
के0जी0के0, पी0जी0 कालेज,
मुरादाबाद उ0प्र0
ईमेलः *kittumom1984@gmail.com*

74

सारांश

किसी भी देश एवं समाज की प्रगति जनसाधारण की शिक्षा पर निर्भर करती है। साधारणतया किसी देश के विकास और उन्नति में शिक्षा के अतिरिक्त कई अन्य कारण भी अपना योगदान देते हैं। फिर भी यदि देश का हर नागरिक शिक्षित होगा तो वह देश के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूर्णतया सजग होगा। शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव जाति द्वारा अर्जित सहस्त्र वर्षों के अनुभव बालक को हस्तांतरित किये जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज की संस्कृति को ग्रहण कर आत्म विकास के पथ पर अग्रसर होता है। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति है जो शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हों। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी शिक्षा के आधारभूत स्तम्भ हैं।

विगत कुछ वर्षों का अध्ययन करने पर एक प्रमुख तत्व उभर कर सामने आता है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की दर घट रही है, लोग परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष निजी विद्यालयों में अपने पाल्यों को पढ़ाने में ज्यादा रूचि दिखा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) के लागू होने के बाद सरकार (केन्द्र एवं राज्य) दोनों द्वारा शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिषदीय विद्यालयों पर विशष ध्यान दिया गया है। चाहे अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में देखें, विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के विकास यथा – कक्षाकक्ष, फर्नीचर, फर्श, रैम्प, स्वच्छ पेयजल, बालक–बालिका पृथक शैचालय, चहारदीवारी, यूनीफार्म, शिक्षण अधिगम सामग्री, रंगाई–पुताई, खेल सुविधा का विकास, बैग एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना इत्यादि। किंन्तु इन सबके बावजूद विगत सन् 2008 से परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की दर में गिरावट आ रही है। जबकि इन्हीं वर्षों में निजी विद्यालयों की नामांकन दर में वृद्धि देखी गयी है। एजुकेशन

स्टेटस रिपोर्ट – उत्तरप्रदेश 2012 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के छात्रों के कुल नामांकन में सरकारी विद्यालयों का हिस्सा 42.70 प्रतिशत जबकि निजी विद्यालयों में 48.50 प्रतिशत छात्र नामांकित, अन्य संस्थानों का भाग 2.50 प्रतिशत था, जबकि 6.40 प्रतिशत छात्रों का नामांकन नहीं हुआ है यानि वे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। यहाँ सरकारी/परिषदीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों को वरीयता दी जा रही है। यही नहीं सरकारी/परिषदीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि का रूझान आगे भी जारी है। इससे परिषदीय विद्यालय निजी विद्यालयों की तुलना में तेजी से पिछड़ रहे हैं तथा इनमें नामांकन दर तेजी से घट रही है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में परिषदीय विद्यालय में घटती नामांकन दर के कारणों पर प्रकाश डालना प्रमुख उद्देश्य है।

मुख्य बिन्दु

प्राथमिक शिक्षा, परिषदीय विद्यालय, आर0टी0ई0–2009, नामाकन दर।

6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009'', 1 अप्रैल सन् 2010 को लागू हुआ। इसे 86वाँ संविधान संशोधन–2002 के अन्तर्गत मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21–ए के तहत सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार 'राज्य 6–14 वर्ष तक के आयु–वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबन्ध करेगा। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में लागू हो चुका है। इस सम्बन्ध में राज्यों ने भी अपनी विधान सभाओं में इससे सम्बन्धित अधिनियमावली पारित कर चुके हैं। इस दृष्टि से यह अधिनियम भारत को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGS) को प्राप्त करने का एक समन्वित प्रयास है।

इस अधिनियम में छः से चौदह वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का दायित्व राज्य पर होगा। इसमें विभिन्न प्रावधान दिये गये हैं एवं उन प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए दायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित हैं।

सन् 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ जिसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। इसी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1882 में हण्टर कमीशन से इसी तरह के अधिनियम को भारत में भी लागू करने की मांग की थी। सन् 1906 में श्रीगोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भी इम्पीरियल लेजिस्टलेटिव असेम्बली के सम्मुख इसी तरह की मांग रखी गयी किन्तु उन्हें भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। सन् 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया, किंतु वित्तीय संसाधनों का अभाव दिखाकर इसे नहीं माना गया। सन् 1948–49 में संविधान सभा ने भी इसे मौलिक अधिकार की सूची में न रखकर इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद 45 में रखा। जिसके अनुसार ''राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में

सभी बच्चों के लिए जब तक की वे 14 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा''।

सन् 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय में यह कहा गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्ष के तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 86वाँ संविधान संशोधन (2002) के द्वारा मूल अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 21। सम्मिलित किया गया। जिसके अनुसार ''राज्य 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का, ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबन्ध करेगा''। इसके साथ ही संविधान अब राज्य प्रत्येक अनुच्छेद 45 के लिए स्थानापन्न अनुच्छेद ''राज्य सभी बच्चों को जब तक की वे अपनी 06 वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा''। संविधान के अनुच्छेद 51। में धारा झ जोड़ी गयी, जिसके अनुसार ''यदि माता–पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें''। इसी क्रम में सन् 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित हुआ जो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के रूप में पारित हुआ तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ जो अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में लागू हो गया। उसके उपरान्त राज्य बच्चे को 6ः से 14 वर्ष की आयु (कक्षा 1 से 8 तक) तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009'' के आलोक में विद्यालयीय वातावरण को और अधिक उन्नत एवं जीवन्त बनाने के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाओं की अपेक्षा की गयी है–

- बच्चों के लिए विद्यालय तक बाधारहित पहुँच।
- सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा।
- बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय।
- खेल का मैदान तथा खेल सामग्री की उपलब्धता।
- कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवसों का निर्धारण तथा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवसों का निर्धारण।
- बच्चे स्वयं को सुरक्षित, खुश एवं स्वीकृत महसूस करें और शिक्षक सार्थक एवं व्यावसायिक रूप से अपने आप की सन्तुष्टि महसूस करें।
- बाल अनुकूल एवं बाल केन्द्रित ढंग से शिक्षण, क्रिया–कलाप एवं प्रकटीकरण– खोज द्वारा शिक्षण कार्य हो।
- दुर्बल वर्ग के बालक एवं अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाय तथा वे किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से निवारित न हों।

- यदि 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया किन्तु उसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु

के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

• यदि किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसे अन्य बच्चों के समान होने के लिए एक निष्चित/विहित समय सीमा के अन्तर्गत विशेष शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

• प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नामांकित कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्श की आयु के पश्चात भी या प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क षिक्षा प्राप्त करने का हक उसे प्राप्त होगा।

• 6 से 14 वर्ष के बालक को किसी भी तरह से विद्यालय में प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जायेगा।

• किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा और न ही मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।

• दिये गये समय के अन्दर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा किया जायेगा।

• प्रत्येक बालक को यथासम्भव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जायेगी।

• प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण किया जायेगा और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

• बच्चों को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाया जायेगा तथा स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता की जायेगी।

• बच्चों के समझने की षक्ति, उसके उपयोग की योग्यता का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन किया जायेगा।

• किसी बच्चे से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

राज्य अपने प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के दायित्व के लिए परिषदीय/सरकारी विद्यालयों के माध्यम से प्रयासरत हैं। किन्तु विभिन्न सरकारी आयोगों की रिपोर्टों, गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टों, विभिन्न समाचार पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट–उत्तर प्रदेश वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि प्रारम्भिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अभी दूर है तथा इसमें विगत कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आयी है। इससे परिषदीय विद्यालय निजी विद्यालयों की तुलना में तेजी से पिछड़ रहे हैं तथा इनमें नामांकन दर तेजी से घट रही है।

परिषदीय विद्यालय में घटती नामांकन दर के कारण

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के तहत केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा (6–14 वर्ष की आयु तक, कक्षा 1 से 8 तक) में शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिषदीय विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में चाहे अध्यापक–छात्र अनुपात को देखा जाय या छात्र–कक्षा कक्ष, अध्यापक कक्षा कक्ष अनुपात देखा जाय वर्तमान में स्थिति बेहतर हुई है। विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विकास, कक्षा–कक्ष, फर्नीचर, फर्श, रैम्प, स्वच्छ पेयजल, बालक–बालिका पृथक शौचालय, बाउण्ड्री वाल, यूनीफार्म, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सुविधा, बैग एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि में सुधार हुआ है। किन्तु इन सबके बावजूद परिषदीय विद्यालयों में नामांकन दर लगातार घटती जा रही है जिसे सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी रोकने में एक सीमा तक असफल रही है। इस असफलता का ही यह परिणाम

रहा है कि वर्तमान में इसके लिए सरकार द्वारा शिक्षकों एवं प्रधानाध्यपकों को घर–घर जाकर नामांकन के लिए प्रेरित करने पर बल दिया है जबकि इसी समय में निजी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि देखी जा रही है। इन कोशिशों के बावजूद अभी भी 6.40 प्रतिशत छात्र विद्यालयों से बाहर है, अर्थात् उनका नामांकन नहीं हुआ है। विगत कुछ वर्षों का अध्ययन करने पर एक प्रमुख तथ्य उभरकर सामने आया है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन का दर घट रही है। लोग परिषदीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों में अपने पाल्यों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं।

इस संदर्भ में सामाजिक अध्ययन से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालयों में घटती नामांकन दर के कारणों के पीछे कई कारण हैं, सम्भवतः भौतिक संसाधनों में कमी, परिषदीय विद्यालयों में लागू योजनाओं की गुणवत्ता में कमी, उपलब्धि आधारित शिक्षा की कमी, परिषदीय विद्यालयों के निम्न सामाजिक प्रभाव में अन्तर्निहित है। यद्यपि सरकार के स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के भौतिक संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है, किन्तु फिर भी अभी निजी विद्यालयों की तुलना में पिछड़े हैं। गुणवत्ता, खासकर शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में परिषदीय विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में अन्तर है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें और गिरावट आयी है। यह बात उ0 प्र0 एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट–2021 तथा असर रिपोर्ट–2021 में भी सामने आयी है। जो शायद परिषदीय विद्यालयों में घटती नामांकन दर के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उपलब्धि आधारित शिक्षा में कमी जिसमें छात्र अपेक्षित दक्षताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यह एक गम्भीर समस्या है। जिसके कारण निम्न मध्यम आय वर्ग भी परिषदीय विद्यालयों में अपने बालकों को नहीं भेजना चाह रहा है। यह भी घटती नामांकन दर के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही परिषदीय विद्यालयों का निम्न सामाजिक प्रभाव भी एक कारण हो सकता है, जिससे लोग अपने पाल्यों को परिषदीय विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं।

वर्तमान में सबके लिए शिक्षा(EFA), निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 तथा प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण(न्म्) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार के स्तर पर, शिक्षक, प्रशासन तथा समाज के स्तर पर विभिन्न समितियों के माध्यम से भौतिक संसाधनों में बेहतरी करके, योजनाओं, शिक्षक एवं शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाकर, शिक्षा को उपलब्धि आधारित तथा आवश्यक दक्षता आधारित बनाकर तथा सामुदायिक सहभागिता के लिए विभिन्न योजनाओं एवं अवसरों को आयोजित/कार्यान्वित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन दर को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक–शिक्षिकाओं का कार्य एक माली के समान होता है। जिस प्रकार माली अपने कठिन परिश्रम एव लगन से हरे–भरे व सुन्दर पौधों को सुन्दर वृक्ष बनाता है। उसी प्रकार योग्य एवं चरित्रवान व्यक्ति ही शिक्षक का दायित्व पूरा कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक के महत्व को अंगीकार कर यह माना गया है कि समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। कहा जाता है कि राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए समाज व राष्ट्र के विकास और उसकी समृद्धि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की गयी है।

इस नीति में शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी तरह से कर सके इसके लिए उसकी स्थिति में सुधार का प्रयास होना चाहिए और उसी के साथ उसके दायित्व को सामने रखते हुए शासन व समुदाय द्वारा ऐसी स्थितियॉ उत्पन्न करने पर बल भी दिया जाना चाहिए, जिनसे उनकी रचनात्मक व सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन प्राप्त हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में वे महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग करने में समर्थ हो सके। निष्कर्षतः प्राथमिक शिक्षा में बहुस्तरीय एवं बहुपक्षीय उन्नयन यथा भौतिक संसाधनों का विकास, गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन, योजनाओं की उपलब्धि आधारित शिक्षा प्रदान कर तथा सामाजिक सहभागिता स्थापित कर परिषदीय विद्यालयों में घटती नामांकन दर पर रोक लगाकर इसे समाज में प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

संदर्भ

1. राम श्याम बिहारी (1992) ''शैक्षिक योजना एवं प्रशासन'' प्रकाशक, एकक, नीवा, 17 वी.,श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली– 110016.
2. रानी, पुष्पांजली (2004) ''उड़ीसा राज्य में प्राथमिक स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन'', उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा।
3. रेड्डी पी.आर. (2001) ''मणिपुर में प्राथमिक शिक्षा : जिलों का अध्ययन– सोशियल वीकली मणिपुर।
4. रेनेना वी.के. (1991): ''फिफ्थ सर्वे ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च एण्ड इन्नावेशन्स'', ए ब्राण्ड फ्रेम वर्ग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
5. रजा मुनिस (1996): ''शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम'', ग्रन्थ शिल्पी नई दिल्ली–110002.
6. रूटानाथूमेटी सुश्रुश्री सुवाना (2004): ''प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अनुदेशन की प्रभावशीलता का अध्ययन आधारित : एक प्रायोगिक अध्ययन'', दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत गुजरात।
7. लाल, रमन बिहारी (2005): ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ'', अप्रकाशित शोध–प्रबन्ध (शिक्षा), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. लेविन, एच. एण्ड हॉककीड, एम. ई. (इडिटर्स)(1993): ''इफेक्टिव स्कूल इन डवलपिंग कन्ट्रीज'' द फार्मर प्रेस लन्दन रिसर्च जर्नल रिपोर्ट।
9. लियेंग यूगिन (2009): ''ब्रीफ रिव्यू ऑन डिटेल्स इन एज्यूकेशनल मैनेजमेन्ट एण्ड टीचिंग, इन्टरनेशनल एज्यूकशन स्टेडीज, कनेडियन सेन्टर ऑफ साईन्स एण्ड एज्यूकेशन कनाड़ा,रिसर्च जर्नल रिपोर्ट।
10. RTE Act (2009) , MHRD, Govt. of India, Retrieved from mhrd.gov.in on 2016
    SSA (2000), Retrieved from http:\\ssa.nic.in/ on 2016
11. HRD Ministry (2021), RTE : 2nd year review report, Retrieved from http:// ssa.nic.in.pte on 2021
12. ASER report (2021), Retrieved from img. aser centre.org/docs/publications/ ASER% Report/ASER%2014/National % 20PPTs/ASER 2021 India english.pdf on June 2021